न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 222/2016

1 भंवर सिंह पुत्र श्री लालसिंह
2 औंकारसिंह पुत्र श्री लालसिंह
3 श्रवण सिंह पुत्र श्री लालसिंह
जाति समस्त राजपूत निवासीगण लोहरड़ा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 भंवरसिंह पुत्र सुमेरसिंह
2 दुर्गासिंह पुत्र सुमेरसिंह
3 सुरजपाल सिंह पुत्र सुमेर सिंह
जाति समस्त राजपूत निवासीगण लोहरड़ा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
4 प्रभुसिंह पुत्र खांगसिंह जाति समस्त राजपूत निवासीगण लोहरड़ा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
4/1 भंवर कंवर पत्नी स्व. प्रभूसिंह
4/2 मनमोहन सिंह पुत्र स्व. प्रभुसिंह
4/3 जगमोहन सिंह पुत्र स्व. प्रभुसिंह
4/4 पदम कंवर पुत्री स्व. प्रभुसिंह
4/5 कमलेश कंवर पुत्री स्व. प्रभुसिंह
4/6 संतोष कंवर पुत्री स्व. प्रभुसिंह
4/7 मु. विनोद कंवर पुत्री स्व. प्रभुसिंह
4/8 नीरज कंवर पुत्री स्व. प्रभुसिंह
जाति समस्त राजपूत निवासीगण लोहरड़ा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
5 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्टस

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

प्रथम पील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट 1955
खिलाफ निर्णय व डिक्री बअदालत उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ कैम्प ग्राम पंचायत लोहार्गल जिला झुन्झुनूं
दावा उनवानी भंवरसिंह वगै. बनाम भंवरसिंह वगै.
दावा बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा दावा संख्या
54/2015 निर्णय व डिक्री दिनांक 29.06.2016

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भू-प्रबन्ध सत्यमेव जयते * सीकर *

उपस्थिति :
1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट

–निर्णय–

दिनांकः– 7/4/26

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 54/2015 में पारित निर्णय दिनांक 29.06.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण अपीलान्ट ने एक वाद घोषणार्थ व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 85 गत भू–प्रबन्ध के खसरा नम्बर 26 वाके ग्राम लोहरड़ा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलान्ट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने निर्णय व डिक्री जैर बहस बिना किसी आधार के पारित किया है। विचारण न्यायालय के यहां अपीलान्टस की प्लींडिग का खण्डन नहीं हुआ। विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर मौजुद दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य की विवेचना सही रूप से नही की है। अपीलान्टस ने टिनेन्सी का स्त्रोत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से साबित किया है। इसके

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

बावजूद भी अपीलान्टस को खातेदार घोषित नहीं कर कानूनी गलती की है। रेस्पोडेन्ट सं. 5 की तरफ से अपीलान्टस की प्लींडिग का कोई खण्डन नहीं हुआ और ऐसी सूरत में कानून से प्लींडिग की स्वीकृति होना माना जावेगा। उक्त कानूनी बिन्दु को नजरअंदाज किया गया है। विचारण न्यायालय ने राजस्व रिक़ार्ड से भी टिनेन्सी को साबित किया है। विचारण न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों को नजर अंदाज किया है। जमीन जैर बहस पर अपीलान्टस का कब्जा व काश्त काबिज है। अपील अपीलान्ट मंजुर फरमाई जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री 29.06.2016 को अपास्त किया जाकर जमीन हाल खसरा नम्बर 85 रकबा 0.17 है. सरहद मौजा लोहरवाड़ा तहसील नवलगढ़ के खातेदार काश्तकारी अपीलान्टस को बहिस्सा बराबर घोषित किया जावे और रेस्पोडेन्टस सं. 5 के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादीगण अपीलान्ट ने एक वाद घोषणार्थ व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 85 गत भू–प्रबन्ध के खसरा नम्बर 26 वाके ग्राम लोहरड़ा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया।

प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय व डिक्री बिना किसी आधार के, विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना, पत्रावली में प्रस्तुत वाद कथन व जवाब दावे के आधार पर तनकी कायम किये बिना पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का तनकीवार विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है।

रेस्पोडेन्ट सं. 5 की तरफ से अपीलान्टस की प्लींडिग का कोई खण्डन नहीं हुआ है। इस संदर्भ में विचारण न्यायालय ने विधिक रूप से कोई विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का तनकीवार विस्तृत विवेचन कर प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.04.2026 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 7/4/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर